

**न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)**  
**(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)**  
**दांडिक अपील क.-18/15**  
**प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-06/11/15**

1. फूलसिंह पुत्र मोहनलाल आयु 57 साल,
  2. वकील सिंह पुत्र मोहनलाल आयु 51 साल,
  3. बंटी पुत्र फूलसिंह आयु 26 साल,
  4. सूरज पुत्र वकील सिंह आयु 24 साल,
- समस्त निवासीगण गौतमनगर बार्ड नं0-17  
 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....**अपीलार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद  
 चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

.....**प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।  
 अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर अधिवक्ता।

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक 28.08.17 को घोषित)**

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 147/12 उनवान मध्यप्रदेश राज्य बनाम फूलसिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय दिनांक 07.10.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-324 एवं 324 सहपठित 34 के तहत दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के साधारण कारावास को अतिरिक्त रूप से भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 09.03.12 को गौतम नगर गोहद में फरियादी बृजेश उर्फ बबलू के घर के आगे शाम 04:30 बजे के लगभग अभियुक्तगण फूलसिंह, वकील, बंटी तथा सूरज आकर मां बहिन की अश्लील गालियां देने लगे, मना करने पर फूलसिंह ने बृजेश के सिर में कुल्हाड़ी मारी जो उसके बाईं तरफ लगी, जिससे

कटकर खून निकल आया। बंटी ने बाएं हाथ की हथेली में लाठी मारी, जिससे खून निकल आया, सूरज ने डण्डा मारा जो बृजेश के घुटने में लगा, छिलन होकर खून निकल आया। तब बृजेश को बचाने के लिए उसके पिता तुलाराम आए तो वकील ने तुलाराम के बाएं हाथ के बाजू, बाएं पैर के घुटने तथा दाहिने हाथ के पोंहचे में लाठी मारी, जिससे उसे चोटें आईं। रायसिंह एवं माधौसिंह ने बचाया, जाते समय अभियुक्तगण कह रहे थे कि आज तो बचा लिया आइन्दा जान से मार देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसी दिनांक 09.03.12 को शाम 05:00 बजेकर 10 मिनट पर थाना गोहद चौराहे पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 36/12 अंतर्गत धारा-323, 294, 506बी एवं 34 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहतगण बृजेश एवं तुलाराम को मेडीकल हेतु भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-01 एवं प्र0पी0-02 है। बृजेश के बाएं हाथ का एक्सरे परीक्षण करने पर, बाएं हाथ के अंगूठे का डिसलोकेशन एवं द्वितीय पोसे में अस्थिभंग होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-03ए है।

3. दौरान अनुसंधान दूसरे दिन दिनांक 10.03.12 को घटनास्थल का नक्शाभौका बनाया गया। दिनांक 12.03.12 को फरियादी बृजेश का प्र0डी0-01 का तथा साक्षी तुलाराम, माधौसिंह एवं रायसिंह के कथन लिए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर धारा-324 एवं 325 भा0दं0सं0 का इजाफा करते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा-294, 323/34 (दो बार) 324/34 एवं 506 भाग-02 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाए और समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया, जिसके कारण मामले का विचारण किया गया। दिनांक 06.10.15 को अंतिम तर्क के स्तर के दौरान धारा-325 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए और समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रकरण का विचारण चला।

5. उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक 08.09.15 को अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-294, 323/34 (दो बार) एवं 506 भाग-02 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से तथा दिनांक 07.10.15 को अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-325 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-324 एवं 324 सहपठित 34 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया है। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपील मेमो एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि बृजेश अ0सा0-02 ने यह कहा है कि फूल सिंह ने उसके सिर में

कुल्हाडी मारी तथा बंटी ने हॉकी मारी, इस प्रकार सूरज और बंटी के विरुद्ध धारा-324 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 17.10.15 को अपास्त कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। विकल्प में अभियुक्तगण को सदाचार का लाभ देते हुए निर्णय एवं दण्डाज्ञा से दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

9. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि तथा दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?”

#### **-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

10. अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा-5 अवधि विधान का भी प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। अपीलार्थीगण की ओर से एक दिन विलंब को क्षम्य करते हुए अपील अवधि में ग्राह्य की गई मान्य किए जाने की प्रार्थना की गई है। राज्य की ओर से बहुत अधिक विरोध नहीं किया गया है। उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 07.10.15 को घोषित हुआ है तथा यह अपील 06.11.15 को प्रस्तुत की गई है। दिनांक 07.10.15 से 30 दिवस की अवधि दिनांक 06.11.15 को ही होती है। अतः स्पष्ट है कि यह अपील अवधि में ही प्रस्तुत की गई है, जो कि दिनांक 28.12.15 की आदेशपत्रिका के अनुसार अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य की जा चुकी है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के पैरा-16 में बचाव पक्ष की ओर से लिए गए रंजिश के आधार को इस आधार पर नामंजूर किया है कि रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा फरियादी पक्ष की भी मारपीट की जा सकती है। पैरा-17 में अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होना मान्य करते हुए पैरा-19 में सामान्य आशय के अग्रसरण में धारादार हथियार से फरियादी बृजेश को फूलसिंह के द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध को प्रमाणित पाया है।

12. इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार किया गया। बृजेश उर्फ बबलू अ0सा0-02 ने यह बताया है कि वह अपने घर पर था तब फूलसिंह, वकील, सूरज एवं बंटी आ गए थे। फूलसिंह ने उसके कुल्हाड़ी मारी जो सिर

में बाईं तरफ लगी और उसके खून निकल आया तथा बंटी ने हथेली में हॉकी मारी थी एवं सूरज ने बाएँ पैर के घुटने में डण्डा मारा था, जिससे चोट आई थी। उसके पिता तुलाराम अ0सा0-03 ने भी फूलसिंह के द्वारा बृजेश को कुल्हाड़ी मारना तथा वह कुल्हाड़ी बृजेश के सिर पर लगाना, बंटी के द्वारा बृजेश के पैरा में लाठी मारना एवं वकील के द्वारा उसे लाठी मारना बताया है। इस प्रकार बृजेश अ0सा0-02 की साक्ष्य की पुष्टि तुलाराम अ0सा0-03 की साक्ष्य से भली भांति हो रही है।

**13.** डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-01 ने बृजेश के मेडीकल परीक्षण में सिर में बाईं तरफ  $3 \times 0.2 \times 0.2$  सेमी0 तथा  $2.5 \times 0.2 \times 0.2$  सेमी0 कटा हुआ घाव पाया है। उनकी रिपोर्ट प्र0पी0-02 है। उक्त चोट को धारदार वस्तु से आना एवं छः घंटे के भीतर की होना और सामान्य प्रकृति की होना बताया है। इस प्रकार बृजेश अ0सा0-02 एवं तुलाराम अ0सा0-03 की इस साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भली भांति हो रही है कि चारों अभियुक्तगण में से फूलसिंह ने बृजेश के सिर में कुल्हाड़ी मारी, जिससे उसे उक्त चोट आई।

**14.** बृजेश अ0सा0-02 ने प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है। उपरोक्त तीनों के ही प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिससे उनकी साक्ष्य पर या अभियोजन घटना पर अविश्वास किया जाए या ऐसी भी कोई बात नहीं आई है, जिससे कि अभियोजन घटना या अभियोजन मामले में कोई संदेह उत्पन्न होता हो।

**15.** डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-01 को तुलाराम एवं बृजेश को आई सभी चोटें नुकीले पत्थरों एवं कृषि उपकरणों पर गिरने से आने की संभावना होने का सुझाव दिया है, जिसे इस साक्षी ने स्वीकार किया है। परंतु बृजेश अ0सा0-02 को पैरा-04 में यह सुझाव दिया गया है कि उसने अभियुक्त की मारपीट की थी, जिससे गिरने पर उसे चोटें आई थी। इस प्रकार यह दोनों आधार प्रथक-प्रथक है। इस संबंध में बचाव में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि फरियादी पक्ष को उक्त चोटें पत्थर पर एवं कृषि उपकरणों पर गिरने से आई हैं या अभियुक्त की मारपीट करते समय गिरने से आई है। इस प्रकार उपरोक्त सभी साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय है। जिसके आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित हुआ है कि चारों अपीलार्थीगण के द्वारा एक राय होकर बृजेश की मारपीट करने के सामान्य आशय से उसके घर के सामने आकर बृजेश की मारपीट की गई तथा चारों अभियुक्तगण में से फूलसिंह के द्वारा स्वेच्छया और जानबूझकर कुल्हाड़ी से बृजेश के सिर पर वार किया गया है, जिससे उसे उक्त चोटें आई है।

**16.** अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होने, साक्षियों की साक्ष्य अखण्डनीय होने का निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को बृजेश को सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर कोई वैधानिक त्रुटि



कारित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि वैधानिक त्रुटि से ग्रसित न होने से हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

**17.** जहां तक अपीलार्थीगण को परीक्षा पर छोड़े जाने का प्रश्न है, अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थीगण बंटी एवं सूरज विद्यार्थी है। अपीलार्थी सूरज के द्वारा हाल ही में पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी है। बंटी के द्वारा पांचवे सेमेस्टर की परीक्षा देना बताया है। अपीलार्थी सूरज की द्वितीय वर्ष (अंतिम वर्ष) की डी.एम.एल.टी. की परीक्षा इसी वर्ष होना है और उसके द्वारा सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु तैयारी करना बताया है। यह भी बताया है कि फूलसिंह भी वृद्धावस्था की ओर है। यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किए गए दण्डादेश की पुष्टि की जाती है तो निश्चित ही अपीलार्थीगण का भविष्य प्रभावित होगा और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उक्त आधारों पर सदाचार की परीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। राज्य की ओर से विरोध किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया गया है, उक्त कृत्य को देखते हुए अपीलार्थीगण को परीक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

**18.** उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बंटी एवं सूरज की ओर से इस अपील के दौरान अंतिम तर्क के समय अपनी शिक्षा से संबंधित मार्कशीट प्रस्तुत की गई है, जिससे कि प्रकट होता है कि वे छात्र हैं। अपीलार्थी सूरज ने फिलहाल आईडिया कंपनी की सिम के संबंध में कार्य करना बताया है, आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना बताया है। इसी प्रकार अपीलार्थी बंटी के द्वारा भी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा तथा डी.एम.एल.टी. की प्रथम वर्ष की परीक्षा दिया जाना बताया है। जैसा कि असल अंकसूचियों से स्पष्ट है। फूलसिंह भी लगभग 57 वर्ष का होकर वृद्धावस्था की ओर है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, जैसा कि विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख की आदेश पत्रिका दिनांक 08.09.15 एवं 07.10.15 से स्पष्ट है। परंतु धारा-324 भा0दं0सं0 राजीनामे योग्य न होने से प्रकरण का विचारण चला था। अपीलार्थीगण की पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं लाई गई है।

**19.** इन परिस्थितियों में यदि अपीलार्थीगण को किसी भी कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है तब उनका भविष्य निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। अपीलार्थीगण की आयु, प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, प्रकरण में हुए राजीनामे, दोनों अपीलार्थीगण के विद्यार्थी होने, अपीलार्थीगण के शील एवं पूर्ववृत्त को देखते हुए तथा उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया है को, ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण तत्काल या तुरंत कोई दण्डादेश देने की बजाय अपीलार्थीगण को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ा जाना समीचीन है। अतः अपीलार्थीगण की अपील दण्डादेश के प्रश्न पर स्वीकार की जाती है।

**20.** आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण प्रत्येक की ओर से 10,000-10,000/-रुपए की सक्षम जमानत एवं इनती ही राशि के व्यक्तिगण बंधपत्र इस आशय के प्रस्तुत किए जावे कि वह दो वर्ष की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर विचारण न्यायालय में हाजिर होंगे और दण्डादेश पाएंगे और इस बीच परिशांति कायम रखेंगे तथा सदाचारी बने रहेंगे तो उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

**21.** इस प्रकार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किए गए दण्डादेश को अपास्त किया गया।

**22.** अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

**23.** इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,

मेरे बोलने पर टंकित ।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

(मोहम्मद अज़हर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)